सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 442 राँची ,बुधवार

19 भाद्र 1936 (श०)

10 सितम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 सितम्बर, 2014

1. उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 1278, दिनांक 10 जून, 2008

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0- 3422 दिनांक 23 मई, 2009, संकल्प संख्या-8210, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011, संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 एवं पत्रांक-3608, दिनांक 16 अप्रैल, 2014

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-86, दिनांक 28 फरवरी, 2012

4. आरोपी पदाधिकारी पत्र, दिनांक 6 मई, 2014

संख्या-8993--श्री गोपीनन्दन प्रसाद, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-389/03, गृह जिला-सीतामढ़ी), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू को पदस्थापन अवधि के दौरान अन्नपूर्णा चावल वितरण संबंधी गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने, मृत लाभुकों के स्थान पर नए लाभुकों का चयन

नहीं कर पूर्व से चयनित लाभुकों के लिए चावल उठाव कर वितरण शत-प्रतिशत दिखाकर मृत लाभुकों के वितरण किये गये चावल का कालाबाजारी कराने, अन्नपूर्णा योजना के भण्डार पंजी का भी संधारण नहीं करने, इस योजना का अनुश्रवण नहीं करने आदि आरोप प्रपत्र- 'क' में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 1278, दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा प्राप्त है। श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. आरोपी पदाधिकारी श्री गोपीनन्दन प्रसाद दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 से 15 फरवरी, 2008 तक अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद के पद पर कार्यरत रहे और इस अवधि में ही दिनांक 10 सितम्बर, 2007 से 12 दिसम्बर, 2007 तक के लिए अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद का कार्य भी संपादित किए हैं।

2. श्री प्रसाद ने अंचल पदाधिकारी, हुसैनाबाद के कार्य संपादन के क्रम में फरवरी 2006 एवं मार्च 2006 का अन्नपूर्णा चावल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने पत्रांक-238, दिनांक-21 सितम्बर, 2007 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, पलामू को भेजा है, जिसके द्वारा शत-प्रतिशत अन्नपूर्णा चावल का वितरण दिखाया गया है, जो गलत है।

3. अन्नपूर्णा अन्न योजना में फरवरी 2006 एवं मार्च 2006 के लिए उठाव एवं वितरण किये गये चावल की जाँच हेतु जिला स्तर पर एक जाँच दल का गठन किया गया था, जिसके जाँच के क्रम में पाया गया कि माह फरवरी 2006 एवं मार्च 2006 के अन्नपूर्णा योजना का चावल का उठाव दिसंबर 2006 में किया गया है, जिसे आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त चावल का शत प्रतिशत वितरण अंचल अधिकारी हुसैनाबाद के रूप में उनके पत्रांक-238, दिनांक 21 सितम्बर, 2007 के द्वारा दिखाया गया है।

4. माह फरवरी 2006 एवं मार्च 2006 के लिए अन्नपूर्णा योजना का चावल 383.60 क्विंटल का उठाव, जिसमें कुल लाभुकों के पूर्व की संख्या 1918 थी, के लिए किया गया था, परन्तु उनमें 221 लाभुकों की मृत्यु हो चुकी थी और श्री प्रगति प्रकाश, राजस्व कर्मचारी, हल्का नं0-7 के हल्का में जीवित लाभुक 146 एवं श्री अवधेश प्रसाद, राजस्व कर्मचारी नं0-10 के हल्का में जीवित लाभुक 146 एवं राजनाथ मिस्त्री, राजस्व कर्मचारी हुसैनाबाद अंचल के हल्का में जीवित 168 हैं, में उक्त दोनों माह का चावल वितरण नहीं हुआ है। जिस हल्का में वितरण दिखाया भी गया है, उस हल्का के शत-प्रतिशत लाभुकों को चावल वितरण नहीं किया गया है। साथ ही, दिसम्बर 2006 में उठाव किये गये चावल का वितरण उस हल्का के संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा उठाव के पूर्व ही यानि अप्रैल 2006 से वितरण दिखाया गया है, जिसकी छानबीन भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं की गयी है और उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी कार्यों के प्रति लापरवाही बरतते हैं।

5. आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अन्नपूर्णा योजना में मृत लाभुकों के स्थान पर नये लाभुकों के चयन नहीं कर पूर्व से चयनित लाभुकों के लिए चावल उठवाकर शत-प्रतिशत वितरण दिखाकर मृत लाभुकों के वितरण किये गये चावल का कालाबाजारी कराया गया जो घोर अपराध है।

6. जाँच दल द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि अन्नपूर्णा योजना के भंडार पंजी का भी संधारण आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं कराया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा इस योजना के तदनुरूप कब-कब और कितना-कितना चावल का उठाव किया गया एवं कितना चावल का वितरण लाभुकों के बीच किया गया और कितना भंडार में अवशेष है। भंडार पंजी का संधारण नहीं करना एक गम्भीर आरोप है।

7. आरोपी पदाधिकारी द्वारा हुसैनाबद अंचल के अन्नापूर्णा योजना के मृत लाभुकों के स्थान पर नये लाभुकों का चयन नहीं किया गया जबकि उक्त अवधि में आरोपी पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी, हुसैनाबाद एवं अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद दोनों ही पदों के प्रभार में थे तथा अन्नपूर्णा योजना के लाभुकों का चयन नियमानुसार आम सभा आयोजित कर अंचल पदाधिकारी को कराना है तथा उसकी स्वीकृति/ अनुमोदन अनु0 पदा0 को देना है, फिर भी आपने उक्त दोनों पदों पर रहते हुए मृतक के स्थान पर नये लाभुकों का चयन नहीं कर आपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया है, जो सरकारी सेवक आचार संहिता के विरूद्ध है।

8. आरोपी पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद के पद पर रहते हुए इस योजना का गहण अनुश्रवण नहीं किया जबकि यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अति गरीब लोग इस योजना के लाभ से वंचित रहे जो आरोपी पदाधिकारी के अनुशासनहीनता का परिचायक है।

9. आरोपी पदाधिकारी के द्वारा किया गया उक्त कार्य उनके अनुशासनहीनता, कार्यों में लापरवाही बरतना तथा मनमाने ढंग से कार्य करना परिलक्षित करता है, जो सरकारी सेवक के आचार संहिता के विरूद्ध है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0- 3422 दिनांक 23 मई, 2009 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः, विभागीय संकल्प संख्या-8210, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 द्वारा आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-86, दिनांक 28 फरवरी, 2012 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोपों को अप्रमाणित पाया गया, परन्तु विभागीय समीक्षा के क्रम में आरोप संख्या-2 एवं 3 प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 द्वारा श्री प्रसाद के दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका W.P.(S) No. 2863/2012- गोपी नन्दन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2014 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-3551, दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित उक्त संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को विलोपित कर दिया गया एवं श्री प्रसाद को संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन-सह-मंतव्य से असहमति का कारण दर्शाते हुए विभागीय पत्रांक-3608, दिनांक 16 अप्रैल, 2014 द्वारा पुनः द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री प्रसाद के पत्र, दिनांक 6 मई, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। बिना जाँच किये गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने के औचित्य को स्पष्ट करने में श्री प्रसाद पुनः असफल रहे हैं।

इस प्रकार, श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, श्री प्रसाद के **दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड** इनपर अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 442–50 ।